



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 387]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 24, 2016/कार्तिक 2, 1938

No. 387]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 24, 2016/KARTIKA 2, 1938

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2016

सं. भा.आ.प.-34(41)/2016-मेडि/135453.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता बढ़ाना विनियमावली 2000" में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः—

1. (i) इन विनियमों को "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता बढ़ाना (संशोधन), विनियमावली 2016" कहा जाए।
- (ii) वे सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. (i) "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता बढ़ाना विनियमावली 2000" में अर्हकता मानदंड के प्वाइंट सं. 3.2 के "(क) खंड II में मौजूदा मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार की अनुमति योजना" का 'विलोप' किया जाएगा।

डॉ. रीना नय्यर, सचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन III/4/असा./273(100)]

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली नामतः "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता बढ़ाना विनियमावली 2000" को भारत के गजट के भाग—III, धारा (4) में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 14 अगस्त, 2000 की अधिसूचना संख्या 34(41)/2000/मेडि. के अंतर्गत दिनांक 7 अक्टूबर, 2000 को प्रकाशित किया गया था और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 22 मार्च, 2005, 29 जुलाई, 2008, 23 सितंबर, 2009, 9 दिसम्बर, 2009, 11 जनवरी, 2010, 16 अप्रैल, 2010, 3 नवम्बर, 2010, 29 दिसम्बर, 2015 और 29 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA**AMENDMENT NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th October, 2016

No.MCI-34(41)/2016-Med./135453.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the “Opening of a New or Higher Course of Study or Training (Including Postgraduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training(Including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations 2000”, namely:—

1. (i) These Regulations may be called the “Opening of a New or Higher Course of Study or Training (Including Postgraduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training(Including a Postgraduate Course of Study or Training(Amendment) Regulations 2016”.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the “Opening of a New or Higher Course of Study or Training (Including Postgraduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training(Including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations 2000”, the point no.3.2 of the Qualifying Criteria of “(A) Part II **Scheme for permission of the Central Government to increase the admission capacity in any course of study or training (including Postgraduate course of Study or Training) in the existing medical colleges/institutions**” shall be “deleted”.

Dr. REENA NAYYAR, Secy. I/c

[ADVT-III/4/Exty./273 (100)]

Foot Note: The Principal Regulations namely, “Opening of a New or Higher Course of Study or Training (Including Postgraduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training(Including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations 2000”were published in Part-III, Section (4) of the Gazette of India on the 7th October, 2000 vide Medical Council of India Notification No.34(41)/2000/Med., dated 14th August, 2000 and amended vide MCI notifications dated 22/03/2005, 29/07/2008, 23/09/2009, 09/12/2009, 11/01/2010, 16/04/2010, 03/11/2010, 29/12/2015 and 29/04/2016.